स्पीड पोस्ट आवंटनादेश

संख्या-6/एफ1-304/17 श्र0सं0-बिहार सरकार, श्रम संसाधन विभाग

प्रेषक,

गोपाल मीणा,

श्रमायुक्त, बिहार ।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी, रोहतास/अररिया/गया/दरभंगा/ वैशाली/भभुआ(कैम्र)/सीवान ।

पटना, दिनांक:- 🔿 🟃 (ह

विषय:-

मुख्य शीर्ष-2230-श्रम तथा रोजगार-उप मुख्य शीर्ष-01-श्रम-लघु शीर्ष-789-अनुसूचित जातियाँ के लिए विशेष घटक योजना-माँग सं०-26-उप शीर्ष 0104-बाल श्रीमक तंत्र का सुदृढ़ीकरण (विपन्न कोड-26-2230017890104) के अन्तर्गत निधि का आवंटन ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 2842 दिनांक 17.05.17 के आलोक में चालू वित्तीय वर्ष-2017-18 में 31 मार्च, 2018 तक व्यय हेतु आपकी अध्यक्षता में गठित ''बाल श्रमिक पुनर्वास-सह-कल्याण कोष'' में जमा करने हेतु रू 5000/- (रूपये पाँच हजार) मात्र प्रति बाल श्रमिक की दर से निधि का आवंटन निम्न प्रकार से किया जाता है-

क्र _॰ सं॰	37-अनुग्रह अनुदान विषयशीर्ष	जिला का नाम	बाल श्रीमकों की संख्या	आ वं टित राशि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	0104.37.01 अनुग्रह अनुदान	रोहतास	04	20000	श्रम अधीक्षक, रोहतास के पत्रांक-44 दिनांक-18.01.18 के आलोक में ।
2	तदैव	अररिया	02	10000	श्रम अधीक्षक, अरिया के पत्रांक-23 दिनांक-18.01.18 के आलोक में।
3	तदैव	गया	26	130000	उप श्रमायुक्त, गया के पत्रांक-1964 दिनांक-15.12.17 के आलोक में ।
4	तदैव	दरभंगा	02	10000	श्रम अधीसक, दरभंगा के पत्रांक-55 दिनांक-13.01.18 के आलोक में ।
5	तदैव	वैशाली	04	20000	श्रम अधीक्षक, वैशाली के पत्रांक-54 दिनांक-09.01.18 के आलोक में ।
6	तदैव	भभुआ (कैमूर)	07	35000	श्रम अधीक्षक, भभुआ(कैमूर) के पत्रांक 77 दिनांक-23.01.18 के आलोक में ।
7	तदेव	सीवान	02	10000	श्रम अधीक्षक, सीवान के पत्रांक-14 दिनांक-08.01.18 के आलोक में ।
	कुल योग		47	235000	

कुल आवंटित राशि ₹ 2,35,000/-(₹ दो लाख पैतीस हजार) मात्र ।

यह आवंटन वित्त विभाग के पत्रांक-428/वि0 दिनांक 31.03.17, पत्रांक-3002/वि दिनांक-26.04.2017 एवं वित्त आयुक्त के स्थायी ज्ञापांक-2561/वि० (2) दिनांक 17.04.98के आलोक में हैं।

3. इस आवंटित राशि से किसी भी परिस्थिति में अधिक व्यय नहीं किया जाय । यदि आवंटित राशि से अधिक व्यय किया जाता है तो वह अनियमित होगा ।

आवंटित राशि का व्यय संबंधित विपन्नों को जाँच कर नियमानुसार किया जाय। आवंटित राशि से उन्हीं विमुक्त बाल श्रमिक को लाभांवित किया जाय जिन्हें पूर्व में इस हेतु लाभांवित नहीं किया गया हो ।

बाल श्रीक की सूचि

क्रम सं ०

BillNO-82/17.18

		02	01 RH H o
•	्राप्यव,ग्राम -लक्ष्मीपुर ,पो -गिधबास,,थाना +प्रखंड - रानीगंज ,अररिया (मेडिकल में .उम्र अधिक)	० -02,पो॰- अगरथापा, ललित कुमार ,पिता - दिनेश	बाल श्रमिक का नाम व पता नीरजकुमार ,पिता-गुनीलाल
		57	वाउचर सं o
कुल राशी -10000.00(दस हजार रुपये मात्र)		071017	विमुक्ति की तिथि 15.07 17
0.00(दस हज़ार	अनुसूचित जाती	अनुसूचित जाती	गोट
रुपये मात्र)	5000.00	5000.00	पनरबाम गान
		अभियुत्ति	

अम अहाक्षिक भूम अहाक्षिक